74

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2773-पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-6-2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2012-13

---

1. भगवानीया पिता पुना भूरिया भील
2. रामचन्द्र पिता पुना भूरिया भील
3. नानकिया पिता पुना भूरिया भील
4. सुखराम पिता पुना भूरिया भील

निवासीगण पत्थरपाड़ा (छोटा बोलासा)
तहसील पेटलावद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. लीला बाई पिता लिमजी भूरिया भील
2. रूपाबाई पिता लिमजी भूरिया भील .....अनावेदकगण

श्री रूचिर पाराशर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित दिनांक 30-6-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम बोलासा पटवारी हल्का नम्बर 16 राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 पेटलावद तहसील पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 24 में पारित आदेश दिनांक 13-3-90 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 7-3-2012 को 21 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2012-13 दर्ज कर

दिनांक 30-6-2015 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया था, साथ ही संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर सुनवाई की जाकर, आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र को दृष्टि ओझल कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 13-3-90 की जानकारी दिनांक 29-2-2012 को नकल प्राप्त होने पर बताया गया है, जबकि आवेदकगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अनावेदकगण को उक्त आदेश की जानकारी तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रमांक 104-अ-5/2011-12 में वर्ष 2011 में ही हो चुकी थी । अनावेदकगण द्वारा 24 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है और इतने अधिक लम्बे अंतराल का विलम्ब क्यों कारित हुआ, इस सम्बन्ध में कोई कारण नहीं दर्शाया गया है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण स्व. लिमजी के वैध वारिस होने एवं उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के आधार पर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि मूल पुरूष पुनाजी के एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, जिनके चार पुत्र आवेदकगण हैं तथा एक पुत्र लिमजी, जो कि पुनाजी के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई थी । ऐसी स्थिति में पुनाजी की मृत्यु होने के पश्चात उनके विधिक वारिसों के रूप में आवेदकगण का दिनांक 13-3-90 को नामान्तरण किया गया था ।

(4) अनावेदकगण द्वारा मूल पुरूष पुनाजी की पोती होने के नाते उनके वारिस के रूप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य तथा विधि के इस प्रश्न को दृष्टिगत नहीं रखा गया है कि वर्ष 2005 के पूर्व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पुत्रियों, पोतियों आदि

को पैतृक सम्पत्ति अथवा सहदायिक सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, केवल लड़को, पोतों को ही पैतृक सम्पत्ति अथवा सहदायिक सम्पत्ति में अधिकार था ।

(5) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1965 की धारा 6 में वर्ष 2005 के अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत धारा 6 को प्रतिस्थापित करते हुए पैतृक सम्पत्ति अथवा सहदायिक सम्पत्ति में लड़कियों, पोतियों आदि को पुरूष या पुत्रों के बराबर समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है । उक्त धारा में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान उपबंधित किया गया है कि पूर्व मृत पुत्र या उसके बच्चों को वर्ष 2005 के पश्चात ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होगा । वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अनावेदकगण के पिता लिमजी का मूल पुरूष पुनाजी की मृत्यु वर्ष 1990 के पूर्व ही हो चुकी थी । ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने से वर्ष 1990 में हुए नामान्तरण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 24 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में विधिक त्रुटि की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने से न केवल विधि के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, अपितु आवेदकगण के लगभग 24-25 वर्षों से प्रश्नाधीन भूमि में चले आ रहे स्वत्व भी प्रभावित हुए है और जहां स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, वहां राजस्व न्यायालय को स्वत्व के सम्बन्ध में जांच करने अथवा उसका निराकरण करने की कोई अधिकारिता नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2016(1) एम.पी.एल.जे. 108 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण मूल भूमिस्वामी के विधिक वारिस हैं, किन्तु नामांतरण की कार्यवाही में विधिक प्रकिया का पालन किये बगैर, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही अवैधानिक एवं अनियमित आदेश पारित किया गया है, इसलिए नामांतरण पंजी पर पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि चूंकि उन्हें बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये नामांतरण पंजी पर आदेश पारित किया गया था, इस कारण उन्हें नामांतरण आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी के दिनांक से समय-सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2016 (2) आर.एन. 41 एवं 2014 आर.एन. 291 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर हित निहित होकर वे हितबद्ध पक्षकार हैं, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण कार्यवाही अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरण पंजी क्रमांक 24 में दिनांक 13-3-90 को आदेश पारित किया गया है । नामान्तरण पंजी में इस्तहार जारी करने का उल्लेख किया गया है, किन्तु नामान्तरण पंजी पर इस्तहार की प्रति संलग्न नहीं है, अतः नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश की जानकारी अनावेदकगण को नहीं होना स्वाभाविक है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण नियमों का बिना पालन किये आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर, विलम्ब छूट प्रदान करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । इस सम्बन्ध में 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी म.प्र.तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> ''परिसीमा-आरंभ होने का बिंदु-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया-वाक्य ''आदेश की तारीख'' -अर्थ-''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।
> ''शब्द तथा वाक्य- वाक्य ''आदेश की तारीख''- अर्थ-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया- वाक्य ''आदेश की तारीख'' का ''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

इसी प्रकार 2014 आर.एन. 291 अता हुसैन तथा एक अन्य विरूद्ध बेगम जमीला में इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मृतक भूमिस्वामी की पुत्रियों को नामांतरण पंजी में नहीं दर्शाया गया, उनको सूचना नहीं दी गई, 38 वर्ष का विलम्ब माफ किया गया । द्वितीय अपील या पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं । माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-6-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर